सं०सं0–7/प्रा0–01–01/2018– 60(7)ब

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना।
सभी संबंधित सिविल सर्जन
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक 03-12-2018

विषयः– स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या–20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–103– प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–0001–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विपत्र कोड– 20–2210031030001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–2019 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹1,12,02,84,149/– (एक अरब बारह करोड़ दो लाख चौरासी हजार एक सौ उनचास) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या–20(7)ब दिनांक–14.06.18, 28(7)ब दिनांक–06.09.18, 29(7)ब दिनांक–10.09.18, 33(7)ब दिनांक–01.10.18 एवं 56(7)ब दिनांक–5.11.18 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–2019 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹1,12,02,84,149/– (एक अरब बारह करोड़ दो लाख चौरासी हजार एक सौ उनचास) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न) ।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक–2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक–04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या–20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–103–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–0001–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विपत्र कोड – 20–2210031030001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–2019 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. संबंधित सिविल सर्जन को निदेश दिया जाता है कि आवंटित राशि को अपने अधिनस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम औषधालय एवं जिला प्रशिक्षण दल के कार्यरत बल के आधार पर राशि का उपावंटन करेंगे तथा उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे । इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी । एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे।

5. आहार/पथ्य, वाहन का इंधन एवं रखरखाव, सामग्री–पूर्तियाँ, मशीने एवं उपस्कर, दवा भंडार एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन तथा अन्य इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना एवं सम्बंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

6. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। साथ ही विभाग द्वारा जिस संस्थान को जो राशि आवंटित की जा रही है उसी संस्थान में व्यय सुनिश्चित की जाय । इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी ।

7. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

8. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

10. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक– 15.03. 2001, 241(9) दिनांक–21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

11. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रकिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

12. मकान किराया के भुगतान के पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कोषागार पदाधिकारी से पूर्व में भुगतान नहीं किये जाने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही राशि का व्यय सुनिश्चित करेंगे । सक्षम पदाधिकारी का मकान किराया निर्धारण आदेश एवं कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग का भवन अनुपलब्धता प्रमाण पत्र की मूल प्रति से मिलान कर संतुष्ट हो लेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करेंगे ।

13. मकान किराया का भुगतान सिर्फ उन्हीं संस्थानों को किया जायेगा जिनका किराया की स्वीकृति स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गयी हो । जिनकी स्वीकृति विभाग द्वारा प्राप्त नहीं हो उनका भुगतान बिना स्वास्थ्य विभाग की स्वीकृति के नहीं किया जायेगा ।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्धारित दर एवं विभागीय राज्यादेश संख्या–1307 (21) दिनांक–19.11.86 में निर्धारित दर (अधिकतम 10,000/–) दस हजार रूपये वार्षिक में से जो कम हो का ही भुगतान करेंगे । इसमें किसी प्रकार की अनियमितता होगी तो इसके लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी दोषी होंगे ।

15. वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव मद में आवंटित राशि से संधारण/मरम्मती आदि के लिए वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश/परिपत्र का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ही व्यय सुनिश्चित की जाय।

16. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।

17. संविदा सेवाएँ (28–02) तथा व्यवसायिक / कला/ तकनीकी सेवाएँ (28–04) इकाई के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होंगे ।

18. सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में आवंटित राशि से सतरंगी चादर संबंधित भुगतान की राशि भी सम्मिलित है ।

19. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

20. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

29/11/18

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 60 (7) 9 पटना, दिनांक : 03-12-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार(ले० एवं ह०) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी–7/ आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

29/11/18
सरकार के विशेष सचिव

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2018–2019 में बिहार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों / अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं ग्राम औषधालयों (विपत्र कोड 20–2210031030001) का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों में अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	परिवहन भत्ता (01–05)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	यात्रा व्यय (11–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव (13–02)	दूरभाष (13–03)	विद्युत प्रभार (13–04)	विधि प्रभार (13–05)	वर्दी/पोषाक (13–08)	किराया महसूल एवं कर (14–01)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	दवा भंडार (21–02)	आहार/पथ्य (21–03)	संविदा सेवाएँ (28–02)	व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ (28–04)	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	पटना	150000000	22500000	24000000	100000	3900000	3000000	203500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203500000	7673/27.10.18
2	भोजपुर	7000000	1050000	1120000	0	182000	140000	9492000	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	15000000	0	200000	7000000	0	31792000	4118/27.10.18
3	बक्सर	4000000	600000	640000	0	104000	80000	5424000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5424000	2534/26.10.18
4	सासाराम(रोहतास)	26000000	3900000	4160000	0	676000	520000	35256000	48000	0	25000	0	0	100000	0	0	100000	0	1000000	0	5000000	1000000	0	42529000	2642/25.10.18, 1970/10.8.18
5	गोपालगंज	7000000	1050000	1120000	0	182000	140000	9492000	0	0	0	0	0	100000	0	0	100000	1000000	1000000	0	2000000	1000000	1000000	15692000	2648/1.11.18
6	कटिहार	7000000	1050000	1120000	0	182000	140000	9492000	0	5000	0	20000	2344	100000	0	5000	0	0	15000000	0	2000000	7000000	0	33624344	2476/26.10.18
7	पूर्णियाँ	15000000	2250000	2400000	0	390000	300000	20340000	0	0	0	50000	0	100000	0	0	0	500000	15000000	200000	5000000	1500000	400000	43090000	2998/1.11.18, 2937/27.10.18
8	मधुबनी	7000000	1050000	1120000	0	182000	140000	9492000	0	5000	20000	0	75000	100000	0	10000	0	100000	5000000	100000	5000000	3000000	0	22902000	2751/8.11.18
9	दरभंगा	0	0	0	0	0	0	0	21403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21403	2043/25.10.18
10	सारण(छपरा)	10000000	1500000	1600000	0	260000	200000	13560000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	10000000	5000000	0	28660000	3009/23.10.18
11	समस्तीपुर	15000000	2250000	2400000	0	390000	300000	20340000	0	0	20000	0	0	100000	0	0	33760	0	1000000	0	0	0	0	21493760	2238/25.10.18
12	अरवल	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	10000	50000	50000	0	25000	10000	100000	0	0	0	2000000	1000000	0	3250000	1175/3.10.18
13	जमुई	12000000	1800000	1920000	0	312000	240000	16272000	0	0	20000	50000	0	100000	0	10000	0	0	500000	0	0	0	0	16952000	1943/23.10.18
14	गया	20000000	3000000	3200000	0	520000	400000	27120000	0	0	0	0	0	100000	0	10000	100000	0	1000000	0	0	0	0	28330000	3358/29.10.18, 2560/31.8.18
15	सिवान	3500000	525000	560000	0	91000	70000	4746000	0	0	25000	0	0	50000	75000	20000	0	0	0	0	5000000	7000000	0	16916000	40/26.10.18
16	बेगुसराय	10000000	1500000	1600000	0	260000	200000	13560000	0	5000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13665000	2172/1.11.18
17	शेखपुरा	10000000	1500000	1600000	0	260000	200000	13560000	0	5000	20000	0	0	25000	30500	20000	0	0	0	0	1000000	1000000	0	15660500	1389/25.10.18
18	मधेपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	20000	10000	0	100000	0	0	0	0	5000000	100000	5000000	20000000	0	30240000	971/23.10.18
19	मुजफ्फरपुर	120000000	18000000	19200000	0	3120000	2400000	162720000	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162920000	3419/26.10.18
20	वैशाली	0	0	0	0	0	0	0	61424	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	1000000	0	1000000	1000000	0	3161424	2070/24.10.18
21	नवादा	4000000	600000	640000	0	104000	80000	5424000	0	0	50000	200000	0	100000	0	0	100000	500000	4000000	500000	2000000	0	500000	13374000	2994/27.10.18
22	नालन्दा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	2000000	0	5000000	7000000	0	14100000	3386/24.10.18

वित्तीय वर्ष 2018–2019 में बिहार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य कन्द्रों / अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं ग्राम औषधालयों (विपत्र कोड 20–2210031030001) का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों में अतिरिक्त आवंटन

जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	परिवहन भत्ता (01–05)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	यात्रा व्यय (11–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव (13–02)	दूरभाष (13–03)	विद्युत प्रभार (13–04)	विधि प्रभार (13–05)	वर्दी/ पोशाक (13–06)	किराया महशूल एवं कर (14–01)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	दवा भंडार (21–02)	आहार/ पथ्य (21–03)	संविदा सेवाएँ (28–02)	व्यवसायिक/ कला/तकनीकी सेवाएँ (28–04)	मशीनें एवं उपस्कर (52–01)	कुल	युक्ति
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
औरंगाबाद	71000000	10650000	12780000	0	2485000	1420000	98335000	0	0	10000	0	70000	100000	100000	10000	100000	0	2000000	0	5000000	7000000	0	112725000	2113/25.10.18
भागलपुर	25000000	3750000	4000000	0	650000	500000	33900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	1000000	0	3000000	3000000	0	41400000	3907/24.10.18
बाँका	10000000	1500000	1600000	0	260000	200000	13560000	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	8000000	0	5000000	0	0	26660000	2260/25.10.18
अररिया	4000000	600000	640000	0	104000	80000	5424000	276955	20000	0	0	67500	100000	25000	10000	39800	0	1000000	0	4000000	7000000	0	17963255	2619/24.10.18, 2756/19.11.18
खगड़िया	0	0	0	0	0	0	0	60463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60463	2309/31.10.18
कैमूर	15000000	2250000	2400000	0	390000	300000	20340000	0	10000	20000	20000	0	100000	0	0	0	0	0	0	2000000	2000000	0	24490000	1656/27.10.18
मोतिहारी	40000000	6000000	6400000	0	1040000	800000	54240000	0	10000	20000	20000	0	100000	0	0	50000	0	1000000	0	5000000	2000000	0	62440000	2389/16.11.18
सुपौल	10000000	1500000	1600000	0	260000	200000	13560000	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	10000000	0	2000000	2000000	0	27660000	1585/1.11.18
बेतिया	20000000	3000000	3200000	0	520000	400000	27120000	0	0	10000	20000	300000	0	50000	0	0	1000000	1000000	100000	5000000	2000000	1000000	37600000	2103/23.11.18
निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना ।	1450000	217500	232000	21800	37700	29000	1988000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1988000	1130/25.10.18
कुल	623950000	93592500	101252000	121800	16861700	12479000	848257000	468245	75000	270000	440000	564844	2275000	305500	105000	823560	3600000	90500000	1000000	81200000	87500000	2900000	1120284149	

(एक अरब बारह करोड़ दो लाख चौरासी हजार एक सौ उनचास) रू0 मात्र

60(7)9
03-12-18

27/11/18

सरकार के विशेष सचिव

वित्तीय वर्ष 2018–2019 में बिहार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों / अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं ग्राम औषधालयों (विपत्र कोड 20–2210031030001)

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0001–01–01)	5999146000	4995190000	623950000	5619140000	380006000
2	जीवन यापन भत्ता (0001–01–03)	899872000	752213600	93592500	845806100	54065900
3	मकान किराया भत्ता (0001–01–04)	959863000	799027400	101252000	900279400	59583600
4	परिवहन भत्ता (0001–01–05)	1930000	1750000	121800	1871800	58200
5	चिकित्सा भत्ता (0001–01–06)	152352000	130339728	16861700	147201428	5150572
6	अन्य भत्ता (0001–01–07)	119982000	99828200	12479000	112307200	7674800
7	त्यौहार अग्रिम (0001–01–08)	5000000	0	0	0	5000000
	योग 20-2210.03.103.0001.01-वेतन	**8138145000**	**6778348928**	**848257000**	**7626605928**	**511539072**
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001–06–01)	5000000	2303474	468245	2771719	2228281
9	यात्रा व्यय (0001–11–01)	6400000	3160800	75000	3235800	3164200
10	कार्यालय व्यय (0001–13–01)	9200000	3980000	270000	4250000	4950000
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0001–13–02)	23000000	9020000	440000	9460000	13540000
12	दूरभाष (0001–13–03)	10000000	5170000	564844	5734844	4265156
13	विद्युत प्रभार (0001–13–04)	40000000	37620000	2275000	39895000	105000
14	विधि प्रभार (0001–13–05)	2000000	1421000	305500	1726500	273500
15	वर्दी / पोषाक (0001–13–06)	6390000	3635500	105000	3740500	2649500
16	किराया महसूल एवं कर (0001–14–01)	7500000	6626500	823560	7450060	49940
17	प्रशिक्षण व्यय (0001–20–03)	45000000	0	0	0	45000000
18	सामग्री एवं पूर्तियॉं (0001–21–01)	66200000	32423000	3600000	36023000	30177000
19	दवा भंडार (0001–21–02)	660000000	396100000	90500000	486600000	173400000
20	आहार / पथ्य (0001–21–03)	100000000	53378000	1000000	54378000	45622000
21	लघु कार्य (0001–27–01)	1000	0	0	0	1000
22	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0001–27–02)	10000000	0	0	0	10000000
23	संविदा सेवाएँ (0001–28–02)	1000000000	652670000	81200000	733870000	266130000
24	व्यवसायिक / कला / तकनीकी सेवाएँ (0001–28–04)	1500000000	986912000	87500000	1074412000	425588000
25	मशीने एवं उपस्कर (0001–52–01)	30000000	17727000	2900000	20627000	9373000
	कुल योग:–	**11658836000**	**8990496202**	**1120284149**	**10110780351**	**1548055649**

60(7)9
03-12-18

(एक अरब बारह करोड़ दो लाख चौरासी हजार एक सौ उनचास) रू0 मात्र

सरकार के विशेष सचिव